अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर

(राजस्थान सरकार का स्वायत्तशाषी संस्था.)

रा.रा.मार्ग नं.–8 बड़लिया चौराहा, नारेली मंदिर के पास,

अजमेर, 305025

Website: www.ecajmer.ac.in
E-mail : principal.eca@rajasthan.gov.in

Telephone : 0145-2971024

क्रमांकः अमअ / संस्थापन / 2020 / 556

दिनांकः 26/02/20

कार्यालय आदेश

प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र क्रमांक प.5(5)प्र.सु / अनु–4 / 2006 दिनांक 29.01.2020 की प्रति संलग्न कर महाविद्यालय के समस्त विभागाध्यक्षों / सेक्शन ईंचार्ज को निर्देशित किया जाता है कि परिपत्र में प्रदत निर्देशों की कठोरता से अक्षरशः पालना अपने विभाग में सुनिश्चित करें।

प्राचार्य

प्रतिलिपि द्वारा वेबसाईः– क्रमांक/अमअ/संस्थापन/2020/1297–1300

1. समस्त विभागाध्यक्षों / सेक्शन ईंचार्ज को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. समस्त कार्मिकों को पालनार्थ
3. संस्थापन शाखा
4. लेखा शाखा
5. रक्षक पत्रावली

कुलसचिव

राजस्थान सरकार

तकनीकी शिक्षा विभाग

क्रमांकः प 01(3)तशि / 2020 जयपुर, दिनांक 05-02-2020

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा निदेशालय,
जोधपुर।

रजिस्ट्रार ,
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय,
कोटा।

रजिस्ट्रार
बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय
बीकानेर।

प्राचार्य,
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर / महिला अजमेर / बीकानेर / झालावाड / भरतपुर / बांसवाडा / बाड़मेर / बारा / धौलपुर / करौली।

प्राचार्य,
एमएलवीटी एण्ड इंजिनियरिंग महाविद्यालय,
भीलवाडा।

प्राचार्य,
कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग एवं टेक्नॉलोजी,
बीकानेर।

विषयः सरकारी कार्यालयों में समय की पाबंदी एवं कार्य स्थलों पर आवागमन पंजिका (मूवमेंट रजिस्टर) संधारण के संबध में।

संदर्भ– प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र कमांक प.5(5)प्र.सु / अनु–4 / 2006 दिनांक 29.01.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के कम में प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र कमांक प.5(5)प्र.सु / अनु–4 / 2006 दिनांक 29.01.2020 की प्रति संलग्न कर लेख है कि परिपत्र में प्रदत निर्देशों की कठोरता से अक्षरशः पालना सुनिश्चित करावें।

भवदीय,

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

(अनिल कुमार अग्रवाल)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि :–निम्नांकित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संयुक्त सचिव / सहायक शासन सचिव / अनुभागाधिकारी तकनीकी शिक्षा विभाग को निर्देशित किया जाता है कि संलग्न परिपत्र में प्रदत निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें।

1 Put up order. 15/2/2020

244
14.02.20

2. Ref 17/02/2020 5310

3.

संयुक्त शासन सचिव

P.T.O.

F1(03)T.E/22

राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा विभाग
प्राप्ति संख्या 622
दिनांक 3/2/2020

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–4/निरीक्षण) विभाग

क्रमांकः प.5(5)प्र.सु./अनु–4/2006

जयपुर दिनांकः 29–01–2020

JSTE
DSHE
JSHE
CCE

परिपत्र

विषयः– सरकारी कार्यालयों में समय की पाबंदी एवं कार्य स्थलों पर आवागमन पंजिका (मूवमेन्ट रजिस्टर) संधारण के संबंध में।

प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र क्रमांक प.22 (2)प्र.सु./1/83 दिनांक 05.05.1990 के क्रम में लेख है कि कोई भी अधिकारी/कर्मचारी कार्यालय समय यथा **9.30AM से 6.00PM तक** (दोपहर **1.30** बजे से **2** बजे के अलावा) अपना स्थान न छोड़े तथा राजकार्य त्वरित रूप से सम्पादित करें।

यह ध्यान में लाया गया है कि कई अधिकारी/कर्मचारी नियत कार्यालय समयावधि में अपने पदस्थापित स्थान से बाहर घूमते हुये पाये जाते है। विभागाध्यक्ष/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अन्य ग्रुप अधिकारिगण का दायित्व है कि कोई भी कर्मचारी उक्त अवधि में अपनी सीट न छोड़े व पूरे कार्यालय समय में राजकीय कार्य सम्पादन करें। कर्मचारियों पर पूर्णरूपेण नियंत्रण रखने के प्रयोजनार्थ यह आवश्यक है कि कोई कर्मचारी यदि प्रकोष्ठ से बाहर जाता है तो वह आवागमन पंजिका में जाने का कारण इन्द्राज कर ही कार्यालय से प्रस्थान करें।

उपस्थिति औचक निरीक्षण दल के यह भी ध्यान में आया है कि परिपत्र दिनांक 05.05.1990 के माध्यम से प्रसारित निर्देशों के उपरान्त भी ऐसी पंजिका संधारित नहीं की जा रही है। यह भी प्रावधित है कि समस्त राजकीय विभाग/राजकीय निगम/बोर्ड/स्वायत्तशाषी संस्थाओं के विभागाध्यक्ष/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अन्य ग्रुप अधिकारिगण यह सुनिश्चित करेंगे कि बिना अनुमति तथा आवागमन पंजिका में इन्द्राज किये कोई भी कर्मचारी कार्यस्थल नहीं छोड़े। आवागमन पंजिका का प्रारूप इस परिपत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है।

अतः समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/सम्भागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर/विभागाध्यक्ष एवं अन्य संबंधितों को व्यादिष्ट किया जाता है कि वे उक्त निर्देशों की कठोरता से अक्षरशः पालना सुनिश्चित करावें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

कार्यालय शासन सचिव
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
डायरी संख्या 570
दिनांक 31/1/20

राज्यपाल की आज्ञा से

(डॉ. आर. वेंकटेश्वरन)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1– उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, राजस्थान।
2– समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
3– समस्त सम्भागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर।
4– समस्त विभागाध्यक्ष।
5– निदेशक, लोक सेवाऐं,प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग/ उप सचिव प्रशासनिक सुधार विभाग
6– रक्षित पत्रावली।

30/1/2020
(डी. के. स्वामी)
शासन उपसचिव

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार

विभाग ....

आवागमन पंजिका (मूवमेन्ट रजिस्टर)

कर्मचारियों के विभाग/अनुभाग से राजकार्य/अन्य कार्यों से बाहर जाने/आने संबंधी सूचनाओं का ब्योरा

कर्मचारी का नाम व पद	विभाग / अनुभाग से बाहर जाने का समय		विभाग / अनुभाग से जाने का प्रयोजन (कारण) राज्य कार्य	वापिस लौटने का समय	हस्ताक्षर कर्मचारी (जाने के समय)	हस्ताक्षर कर्मचारी (वापिस लौटने के समय)	हस्ताक्षर अधिकारी (ग्रुप अधिकारी)	विशेष विवरण
	दिनांक	समय						
2	3	4	5	6	7	8	9	10

Scanned by CamScanner